

The Finance Bill, 2007
(As introduced in Lok Sabha)

CORRIGENDA

Page No.	Column	Line(s) No.	For	Read
5		17	"dependant"	"dependent"
6		51	"after"	"for"
15		28	"Securites Exchange"	"Securities and Exchange"
23		4	"his"	"the"
26		33 & 34	omit "levied or"	—
28		45	"substituted"	"inserted"
31		5	"in valid"	"invalid"
38		1	"assessee"	"assessee"
55		62	"(16 of 2006)"	"(21 of 2006)"
80	1	27	"2007-2008"	"2006-2007"
81	1	45	"Cess as"	"Cess on"
87	1	52	"set off"	"set off of"
88	1	60	"across country"	"a cross-country"
89	1	62	"to"	"of"
89	2	13 & 14	"said the"	"the said"
90	1	42	"Securites Exchange"	"Securities and Exchange"
91	2	24	"section 295"	"sub-section (2) of section 295"
94	2	13	"in the said section"	"of section 245D"
95	1	35	omit "notice has been issued or"	—
97	1	17	"section (2D)"	"sub-section (2D)"
97	2	3	"proposed"	"proposes"
97	2	8	"clause (i)"	"clause (ii)"
97	2	9	"clause (ii)"	"clause (iii)"
97	2	11	"clause (iii)"	"clause (iv)"
99	2	25	"such income"	"such income." This amendment will take effect from 1st June, 2007."
99	2	27	omit "levy of"	—
99	2	41	omit "levied or"	—
100	1	32 & 33	omit "and will, accordingly, apply in relation to the assessment year"	—
102	1	20	"in the said section"	"of section 22D"
104	1	26	"tax"	"Wealth-tax"
104	2	2	"tax"	"Wealth-tax"
104	2	17	"proposed"	"proposes"
105	1	10	"proposed"	"proposes"
105	1	14	"clause (i)"	"clause (ii)"
105	1	15	"clause (ii)"	"clause (iii)"
105	1	17	"clause (iii)"	"clause (iv)"
105	2	53 & 54	omit "and will, accordingly, apply in relation to the assessment year"	—
108	1	7	"recrod"	"record"

वित्त विधेयक, 2007 (लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में) का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	24	व्यष्टि निकाय,	व्यष्टि निकाय की दशा में,
4	5 और 9	रकम,	रकम में,
8	20	उपधारा	उपखंड
9	1	विशेष एकक	विनिर्दिष्ट एकक
9	2	यथास्थिति, समादत्त पूँजी	समादत्त पूँजी
12	20	करार की गई	की गई
12	45	आय की विवरणी	निर्धारिती, आय की विवरणी
13	31	निम्नलिखित रखे जाएंगे,	निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे,
13	40	प्रतिभूति विनिमय	प्रतिभूति और विनिमय
14	9	उपधारा (2) में,-	उपधारा (2) के परंतुक में,-
17	36	परंतु कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब,	परंतु
18	40	सदस्यों में से ज्येष्ठतम	सदस्यों में ज्येष्ठ
18	43	निम्नलिखित रखा जाएगा,	निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,
18	50	धारा 245ग	धारा 245घ
20	11	अपनी रिपोर्ट	रिपोर्ट
20	29	1 जून, 2007	1 जून, 2008
20	32	1 जून, 2007 के	1 जून, 2007 को या उसके
22	18	"धारा 12कक"	"धारा 12कक के अधीन"
23	15	पर उद्गृहीत या	पर
24	47	ली गई हो,	आरंभ की गई हो,
24	51	सूचना, जो	सूचना जारी की जाती है किंतु वह
27	27	जिसमें वह तारीख, आवेदन	जिसमें आवेदन
27	30	परिसीमा	या अवधि
27	32	धन-कर प्राधिकारी	धन-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन करते समय कार्यवाही लंबित थी,
27	37	आय-कर प्राधिकारी	धन-कर प्राधिकारी
27	38	द्वारा की गई	द्वारा धारित
27	46	समय परिसीमा	समय या अवधि
28	29	धारा रखी जाएगी,	धारा, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, रखी जाएगी,
30	56	धारा 127ख या के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के	धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके
38	30	वाणिज्यिक अनुसंधान	वाणिज्यिक समुत्थान
40	24	128.	128. (1)
41	2	या नियमों	या उसके अधीन बनाए गए नियमों
41	पंक्ति 6, 7 और 8		(2) कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर प्रभार्य कर और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 95 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा । में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) सभी टैरिफ मर्दों
64	12	में स्तंभ (4)	2006-2007
68	16 और 22	सभी मर्दों	प्रतिभूति और विनिमय
71	21 (स्तंभ 1)	2007-2008	धारा 295 की उपधारा (2) में
80	21 (स्तंभ 1)	प्रतिभूति विनिमय	धारा की
81	43 (स्तंभ 1)	धारा 295 में	भीतर
84	4 (स्तंभ 1)	धारा में	खंड (ii)
84	13 (स्तंभ 2)	भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या	खंड (iii)
86	1 (स्तंभ 2)	खंड (i)	खंड (iv)
86	2 (स्तंभ 2)	खंड (ii)	"यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा ।"
86	4 (स्तंभ 2)	खंड (iii)	शास्ति से
88	स्तंभ 1	अंत में जोड़े -	अधिरोपित
88	2 (स्तंभ 2)	शास्ति के उद्ग्रहण से	होगा ।
88	14 (स्तंभ 2)	उद्गृहीत या अधिरोपित	धारा 22घ की
88	54 और 55 (स्तंभ 2)	होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा ।	खंड (ii)
90	19 (स्तंभ 2)	उक्त धारा में	खंड (iii)
93	23 (स्तंभ 1)	खंड (i)	खंड (iv)
93	24 (स्तंभ 1)	खंड (ii)	होगा ।
93	26 (स्तंभ 1)	खंड (iii)	
93	54-55 (स्तंभ 2)	होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा ।	